

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 10/12/25

क्रमांक रीडर/2025/ 3710

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जगमालाराम पुत्र
हेराजराम 2 देदाराम 3
दमाराम पिसरान सेराराम
4 धर्मराम पुत्र पुनमाराम
5 सोनाराम पुत्र सेराम
जाति जाट निवासी
सादुलाणियो का तला,
सनावडा तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 अगरी पत्नि तुलछाराम जाति जाट निवासी सादुलाणियो का
तला सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-497/2025

दिनांक- 01/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सादुलाणियो का तला पटवार क्षेत्र सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 1033/989 रकबा 21.4656 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1035/989 रकबा 2.7761 हैक्टेयर,
खसरा संख्या 1013/994 रकबा 3.0999 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर
अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक-बाड़मेर

10/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 3711-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सनावडा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण देशलाराम पुत्र पुनमाराम जाति मेघवाल निवासी दरुडा पटवार हल्का मारुडी तहसील व
जिला बाउमेर।
4. विप्रार्थीगण शिवलाल पुत्र राऊराम वगैराह जाति भील निवासी दरुडा पटवार हल्का मारुडी
तहसील व जिला बाउमेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

बाड़मेर